रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277491
CG-DL-E-28102026-277491

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5578] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5578] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5796(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 2128(अ), तारीख 13 मई, 2025 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रमांक संख्या 88 के स्थान पर स्तंभ (4) में "राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) क्रमांक संख्या 107 के स्थान पर स्तंभ (3) में "राज विजय ग्राम 2023 (आरवीजी 2023)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 3-1/2026.एसडी-IV]
अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ.2128(अ), तारीख 13 मई, 2025 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5796(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 2128(E), dated the 13th May, 2025, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 88, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jammu, Punjab, Haryana and Delhi".

(ii) against serial number 107, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Raj Vijay Gram 2023 (RVG 2023)".

[F.No. 3-1/2026.SD-IV]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* S.O. 2128(E), dated the 13th May, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5797(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 6123 (अ), तारीख 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

(i) क्रमांक संख्या 35 के स्थान पर स्तंभ (3) में "डीआरआरएच-7 (आईईटी 30165) संकर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रमांक संख्या 78 के स्थान पर स्तंभ (3) में "वीएल बायोफोर्टीफाइड मक्का संकर 201 (वीएल सुपोषित) (एफएमएच 24)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) क्रमांक संख्या 79 के स्थान पर स्तंभ (3) में "वीएल बायोफोर्टीफाइड मक्का संकर 101 (वीएल लोफ़ाइ)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रमांक संख्या 82 के स्थान पर स्तंभ (3) में "पी33309 (पीएम 22117)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) क्रमांक संख्या 84 के स्थान पर स्तंभ (5) में "पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(vi) क्रमांक संख्या 89 के स्थान पर स्तंभ (5) में "बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 3-1/2026.एसडी-IV]
अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग – II, खंड – 3, उप-खंड (ii) में क्रमांक का.आ. 6123(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5797(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 6123(E), dated the 31st December, 2025, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 35, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"DRRH-7 (IET 30165) Hybrid".

(ii) against serial number 82, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"P33309 (PM 22117)".

(iii) against serial number 84, in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Punjab, Haryana, Delhi, Western Uttar Pradesh, plains of Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, and Eastern Uttar Pradesh".

(iv) against serial number 89, in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Eastern Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh".

[F.No. 3-1/2026.SD-IV]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* S.O. 6123(E), dated the 31st December, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5798(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 4388(अ), तारीख 08 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रमांक संख्या 133 के स्थान पर स्तंभ (3) में "कोंकण सात्विक (डीपीएलवी-1) (एलएमवी 548)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रमांक संख्या 226 के स्थान पर स्तंभ (3) में "आईकेएसएचयू -16 (सीओएलके -16202)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) क्रमांक संख्या 227 के स्थान पर स्तंभ (3) में "आईकेएसएचयू-17 (सीओएलके -16470)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 3-1/2026.एसडी-IV]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 4388(अ), तारीख 08 अक्तूबर, 2024 को प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5798(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 4388(E), dated the 8th October, 2024, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 133, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Konkan Satwik (DPLV-1) (LMV 548)".

(ii) against serial number 226, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"IKSHU-16 (CoLK 16202)".

(iii) against serial number 227, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"IKSHU-17 (CoLk- 16470)".

[F.No. 3-1/2026.SD-IV]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* S.O. 4388(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5799(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 1560 (अ) तारीख 26 मार्च 2024 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक संख्या 21 के स्थान पर स्तंभ (3) में "एराइज 110 (आईएनएच 211120) (आईईटी 28950) (एचआरआई-207) संकर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 3-1/2026.एसडी-IV]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1560(अ) तारीख 26 मार्च, 2024 को प्रकाशित की गई थी।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5799(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 1560(E), dated the 26th March, 2024, namely: -

In the said notification, in the Table, against serial number 21, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Arize 110 (INH 211120) (IET 28950) (HRI-207) Hybrid".

[F.No. 3-1/2026.SD-IV]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* S.O. 1560(E), dated 26th March, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5800(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 1056 (अ), तारीख 06-03-2023 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक संख्या 88 के स्थान पर स्तंभ (5) में वर्तमान प्रविष्टि में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 3-1/2026.एसडी-IV]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग – II, खंड – 3, उपखंड (ii) में क्रमांक का.आ.1056 (अ), तारीख 6 मार्च, 2023 को प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5800(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 1056(E), dated the 6th March, 2023, namely: -

In the said notification, in the Table, against serial number 88, in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Andhra Pradesh and Tamil Nadu".

[F.No. 3-1/2026.SD-IV]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* S.O. 1056(E), dated the 6th March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5801(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 2805 (अ), तारीख 25 अगस्त, 2017 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक संख्या 27 के स्थान पर स्तंभ (4) में वर्तमान प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित कि जाएगी, अर्थात्:-

"तमिलनाडु, केरलम, आंतरिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्र"।

[फा.सं. 3-1/2026.एसडी-IV]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2805(अ), तारीख 25 अगस्त, 2017 को प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5801(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 2805(E), dated the 25th August, 2017, namely: -

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

In the said notification, in the Table, against serial number 27, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Tamil Nadu, Keralam, Interior Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Coastal regions of Andhra Pradesh and Odisha".

[F.No. 3-1/2026.SD-IV]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* S.O. 2805(E), dated the 25th August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5802(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 2326 (अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक संख्या 22 के स्थान पर स्तंभ (4) में वर्तमान प्रविष्टि में "कर्नाटक और तमिलनाडु" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 3-1/2026.एसडी-IV]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2326 (अ), तारीख 10 अक्टूबर 2011 को प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5802(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 2326(E), dated the 10th October, 2011, namely: -

In the said notification, in the Table, against serial number 22, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Karnataka and Tamil Nadu".

[F.No. 3-1/2026.SD-IV]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

UNCOMPYCATE Simplifying Compliance

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* S.O. 2326(E), dated the 10th October, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5803(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 122(अ), तारीख 02 फरवरी, 2005 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक संख्या 53 के स्थान पर स्तंभ (3) में "डीएच-1" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 3-1/2026.एसडी-IV]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 122(अ), तारीख 02 फरवरी, 2005 को प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5803(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 122(E), dated the 2th February, 2005, namely: -

In the said notification, in the Table, against serial number 53, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"DH-1".

[F.No. 3-1/2026.SD-IV]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* S.O. 122(E), dated the 2nd February, 2005.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA